उत्तर प्रदेश शासन

पशुधन अनुभाग-1

संख्या-07/2017/441/37-1-2017-05(124)/2010

लखनऊ: दिनाँक 23 मार्च, 2017

<u>कार्यालय-आदेश</u>

पशुधन अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन की विज्ञप्ति / अधिसूचना संख्या-3152/37-1-10-11(29)/2001, दिनांक 05-07-2010 द्वारा प्रादेशिक जीवजन्तु कल्याण बोर्ड (स्टेट एनीमल वेलफेयर बोर्ड) का गठन किया गया है। उक्त विज्ञप्ति के बिन्दु संख्या-12 के अंतर्गत कार्यालय आदेश संख्या- 3789/37-1-2013-5(124)/2010, दिनांक 24 अक्टूबर, 2010 द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को प्रादेशिक जीवजन्तु कल्याण बोर्ड (स्टेट एनीमल वेलफेयर बोर्ड) में सदस्य नामित किया गया था-

1	श्री अजीम भाई पुत्र श्री हाजी नईम खां, 82 नगला बरी, जिला फिरोजाबाद।
2	श्री जटाशंकर सिंह पुत्र श्री सीताराम सिंह, नि0 ग्राम-खडवा कुंवर, पोस्ट परसुरामपुर, जिला बस्ती ।
3	श्री खादिम हुसैन पुत्र श्री गुलाम हुसैन, नि0 ग्राम परसा तकिया, पो0 पुरानी बस्ती, जिला बस्ती।
4	श्री राजेश सिंह पुत्र श्री शिव यज्ञ सिंह, नि0-ग्राम- जफरपुर, पो0 श्रीरामपुर पहाडपुर, जिला सुल्तानपुर।
5	श्री श्रीराम यादव पुत्र श्री राजाराम यादव, नि0- ग्राम/पो0 नेवाईजपार, जिला गोरखपुर।

2- तात्कालिक प्रभाव उपरोक्त सदस्यों के नामांकन को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है।

डा0 सुधीर एम0 बोबडे
प्रमुख सचिव।

<u>संख्या- 07/2017/441(1)/37-1-2017 तदद्दिनाँक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- सचिव, भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार, पो0बाक्स नं0- 8672, 13/थर्ड शीवार्ड रोड, वाल्मिकी नगर, थिरूवनमियूर, चेन्नई-600041
3- प्रमुख सचिव, ग्रह विभाग/वन विभाग/नगर विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
4- पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- निदेशक, सी0डी0आर0आई0, लखनऊ।

6- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

7- निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।

9- मुख्य वन जीव संरक्षक, उ0प्र0।

10- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि क़पया आगामी गजट में प्रकाशित कर 1000 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
राहुल सिंह
विशेष सचिव ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।